

ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म

केंद्र सरकार ने अपने एक महत्त्वपूर्ण नरिणय में ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स और नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम तथा हॉटस्टार जैसे अन्य 'ओवर द टॉप' (Over The Top- OTT) प्लेटफॉर्म अथवा वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाताओं को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाने की घोषणा की है।

क्या होते हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म?

- OTT सेवाओं से आशय ऐसे एप से है, जिनका उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। OTT शब्द का प्रयोग आमतौर पर वीडियो-ऑन-डिमांड प्लेटफॉर्म के संबंध में किया जाता है, लेकिन ऑडियो स्ट्रीमिंग, मैसेज सर्विस या इंटरनेट-आधारित वॉयस कॉलिंग सोल्यूशन के संदर्भ में भी इसका प्रयोग होता है।
- प्रायः ओटीटी (OTT) या ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म का प्रयोग ऑडियो और वीडियो होस्टिंग तथा स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता के रूप में किया जाता है, जिनकी शुरुआत तो असल में कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी, कति वर्तमान में ये स्वयं ही शॉर्ट फ़िल्म, फीचर फ़िल्म, वृत्तचित्रों और वेब-फ़िल्म का नरिमाण कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम तथा हॉटस्टार आदि इसके परमुख उदाहरण हैं।
- ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को व्यापक कंटेंट प्रदान करने साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कंटेंट के संबंध में सुझाव भी प्रदान करते हैं।
- इन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाताओं के अलावा कई बार दूरसंचार, एसएमएस या मल्टीमीडिया मैसेज भेजने से संबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म को भी OTT की परिभाषा में शामिल किया जाता है।

प्रमुख बदि

- ध्यातव्य है किवर्तमान में भारत में इन प्लेटफॉर्म और पोर्टल्स पर उपलब्ध डिजिटल कंटेंट को नरिंत्रति करने वाला कोई कानून या स्वायत्त नकियाय नहीं है।
 - अब तक 'ओवर द टॉप' (OTT) प्लेटफॉर्म जैसे- नेटफ्लिक्स, अमेज़न तथा हॉटस्टार और समाचार प्लेटफॉर्म आदि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के कानूनी ढाँचे के दायरे में आते थे, कति प्ररि और प्रसारण मीडिया के वपिरीत उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर कसिी भी मंत्रालय द्वारा वनियमति नहीं किया जाता था।
- सरकार के इस कदम का प्राथमिक उद्देश्य 'डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया' को नरिंत्रति अथवा वनियमति करना है। राष्ट्रपति राम नाथ कोवदि द्वारा हस्ताक्षरि आदेश में कहा गया है क 'डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया' के अंतर्गत 'ऑनलाइन कंटेंट प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई फ़िल्में और ऑडियो-वज्जुअल प्रोग्राम तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समाचार और समसामयिक वषिय-वस्तु शामिल है।



OTT प्लेटफॉर्म को वनियमति करने संबंधित मौजूद कानून

- गौरतलब है क भारत में अब तक कसिी भी 'ओवर द टॉप' (OTT) प्लेटफॉर्म को वनियमति करने के लयि कोई वशिषिट कानून या नयिम नहीं है, कयोंक यह अन्य मनोरंजन के माध्यमों की तुलना में एक नया माध्यम है।
- टेलीवजिन, प्ररि या रेडियो के वपिरीत, जो क सरकार द्वारा जारी दिशा-नरिदेशों का पालन करते हैं और वनियामक नकियायों द्वारा नरिंत्रति किये जाते हैं, 'ओवर द टॉप' (OTT) प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कंटेंट को लेकर कोई भी नयिम या कानून नहीं है और इनके कसिी नयियामक नकियाय द्वारा नरिंत्रति

किया जाता है।

- भारत में [प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया](#) (PCI) द्वारा प्रिंट मीडिया को, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) द्वारा समाचार चैनलों को और भारतीय वजिज़ापन मानक परिषद (ASCI) द्वारा भारतीय वजिज़ापन उद्योग को नयित्त्रति किया जाता है, साथ ही ये संगठन इन उद्योगों का प्रतनिधित्त्व भी करते हैं।
- यदयपि 'ओवर द टॉप' (OTT) प्लेटफॉर्म को लेकर भारत में कोई नयिम-कानून नहीं है, कत्ति सूचना प्रौद्योगिकी अधनियिम, 2000 की धारा 79 इन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाताओं पर लागू होती है।
- अधनियिम की धारा 79 कुछ मामलों में मध्यस्थों को उत्तरदायित्त्व से छूट देती है। इसमें कहा गया है कि मध्यस्थ उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार के लयि उत्तरदायी नहीं होंगे।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/over-the-top-platform>

